1- कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के सेल डीड के आधार पर Change of Name in transfer of 325 Acres of forest land एवं Transfer of lease of 3.79 Hectare of forest land के निस्तारण से सम्बन्धी प्रकरण में विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित संलग्न है।

1. श्री अनुपम गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री आर0सी0 झा, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर।
3. श्री एच0के0 पण्डा, ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।
4. श्री आकाश मिश्रा, ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।
5. डा0 अदित्येन्द्र मौर्या, ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।
6. श्री उत्कर्ष रघुवंशी, आदित्या बिडला ग्रुप।
7. श्री सुरेश सी. डाड, ज्वाइण्ट प्रेसिडेन्ट।

2- बैठक में मै0 कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को सेल डीड के आधार पर हस्तान्तरित 325 एकड़ वनभूमि को पूर्व में आदित्य बिडला केमिकल्स इण्डिया लि0 तथा मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैरवानिकी प्रयोग हेतु 25 वर्ष की लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के पत्र दिनांक 20.03.2018 के कम में बिन्दुवार आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के पत्र दिनांक 11.10.2019 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दुवार आख्या पर विस्तृत चर्चा की गयी। यह भी संज्ञान में आया कि Government Grant Act 1895 वर्ष 2018 में Repeal हो चुका है।

बैठक में मत स्थिर किया गया कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के पत्र दिनांक 11.10.2019 में उपलब्ध करायी गई आख्या के बिन्दु संख्या-3 व 6 पर आख्या पूर्ण नहीं है। वर्तमान में प्रभावी अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-3 व 6 के सम्बन्ध में सुविचारित आख्या/प्रस्ताव नोडल अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति सहित प्राप्त की जाय। तदोपरान्त पत्रावली न्याय विभाग को सन्दर्भित की जाय।

(कार्यवाही-नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर/प्रयोक्ता एजेन्सी)

3- मै0 कनौरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रासमिशन लाइन हेतु 3.79 हे0 वनभूमि का मै0 आदित्य बिडला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 रेनुकूट के पक्ष में 25 वर्षो हेतु लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट के उपस्थित प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि प्रश्नगत

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनूकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
S. N. Sastry
Authorized Signatory

प्रकरण के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव वर्ष 2011 में प्रस्तुत कर दिया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी में परिवर्तन हो चुका है।

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव ही उल्लंघन की श्रेणी में था। शासन में प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त पत्र दिनांक 13.05.2020 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई। उक्त के कम में मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर के पत्र दिनांक 06.08.2020 द्वारा आख्या नोडल अधिकारी के माध्यम से शासन में प्राप्त हुई। बैठक में प्रस्तुत अभिलेखों में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

बैठक में यह मत स्थिर किया गया कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 की (गाइड लाइन एवं क्लीरिफिकेशन) के चैप्टर–5 के प्रस्तर–5.2 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर Ex-Post Facto के अन्तर्गत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही–नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर/प्रयोक्ता एजेन्सी)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

आशीष तिवारी
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2
संख्या–219/81–2–2021–800(26)/2017
लखनऊ, दिनांक 05 फरवरी, 2021

उपर्युक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1990 /11–सी, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 12,2021

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार वांछित सूचना/प्रस्ताव इस कार्यालय को तीन–तीन प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार वांछित सूचना/प्रस्ताव इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन–तीन प्रतियों में संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– सहायक उपाध्यक्ष, मे0 ग्रासीम इन्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

For Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
S. N. Sastry
Authorized Signatory

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र